न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 78/2016/टीए

सम्पतलाल पिता भगवाना डांगी
निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. सोसर बाई पत्नि रामलाल अहीर
   निवासी खेडा अहीरान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
दिनांक 29.07.2015 प्रकरण सं. 06/2013

उपस्थित – 1. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 10.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम सेमलिया पिलिया खेडा पटवार हल्का सेमलिया पिलिया खेडा, तहसील डूंगला मे खतोनी संख्या 514 पर दर्ज आराजी 1803/254 रकबा 1.01 है0 स्थित है, उसके पास ही विपक्षी/अपीलान्ट की आराजी नम्बर 2098/254 स्थित है, प्रार्थिया अपनी आराजी नम्बर पहूॅचने के लिए 2098/254 मे होता हुआ एक रास्ता स्थित है जो डूंगला से बडीसादडी जाने वाले रोड पर है जिसका उपयोग कई वर्षो से करते चले आ रहै है लेकिन नक्शे मे तरमीम नही होने से व्यवधान पैदा करते है इसलिए रास्ता कायम किया जावे जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 29/07/2015 को प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र

स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह प्रथम अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के मन मकसुद तरीके से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त विवादित आराजीयात खातेदार देवा, भगवाना पिता कल्याण सुथार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उस समय उपरोक्त आराजीयात पर आने जाने का रास्ता आराजी के दक्षिणी पश्चिमी कोने से होता हुआ तत्कालीन खातेदार भी अपने ग्राम सेमलिया मे पहूॅचता था तथा तत्कालीन खातेदार भी अपने ग्राम से उसी रास्ते से आता जाता रहता था जो रास्ता करीबन 20 फीट चौडा है तथा उक्त रास्ते का सभी ग्रामीण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। उक्त ग्राम वादग्रस्त आराजीयात के उत्तर मे स्थित है जिससे प्रार्थिया द्वारा अपनी क्रयशुदा आराजीयात पर सुगमता से पहूॅचने के लिए नवीन रास्ता कायम कराने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया जबकि उक्त आराजीयात पर पहूॅचने का पूर्व से ही रास्ता स्थित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो पर गौर किये बगैर मनमकसुद तरीके से रास्ता होने के बावजूद भी नवीन रास्ता कायम करने का जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251 ए की मंशा यह रही है कि '' खाातेदार की जोत तक पहूॅचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति मे स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उप नियम 1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरो का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किये जाने के प्रावधान किये गये है। '' रेस्पोडेन्ट अपनी खरीदशुदा कृषि आराजीयात की बाजार दर बढाने के उद्देश्य से तथा मुख्य रोड से जुडने के आशय से उक्त आराजीयात पर पहूॅचने का पहले से रास्ता होते हुए भी नवीन रास्ता कायमी का आवेदन प्रस्तुत करते हुए एक पक्षीय रूप से जो आदेश पारित किया वह विधि के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। निर्णय की जानकारी दिनांक 10/08/2016 को पटवारी हल्का के पास जाने से उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का मय शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट तलब नही की गई है न ही अभी तक भूमि के पेटे देय राशि का डी0डी0 ही जमा हुआ है। मौके पर रास्ता नही खुला है तथा निर्णय एक तरफा पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट को दूसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी सूरत मे यह प्रकरण 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि मे नही आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज है। राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 6/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 29/07/2015 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ